शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 11 – 18 नवम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी जाना तय है

- राज्य विधायिका ऐसा अधिनियम पारित ही नहीं कर सकती।
- सीपीएस मामले पर आया उच्च न्यायालय का फैसला सरकार की सेहत पर भारी पड़ेगा
- सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने की संभावनाएं बहुत कम हैं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अवैध और असंवैधानिक करार देते हुये तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसी के साथ 2006 में पारित इस आश्य के अधिनियम को भी निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि

In view of the above discussion, impugned H.P.Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges & Amenities) Act, 2006 is quashed as being beyond the legislative competence of theState Legislature.

Consequently, all subsequent actions, including the appointment of respondents No.5 to 10 in CWP No.2507 of 2023, who are also respondents No.4 to 9 in CWPIL No.19 of 2023, are held and declared to be illegal,unconstitutional, void ab-initio and accordingly are set aside.

Since the impugned Act is void ab initio therefore respondents No.5 to 10 in CWP No.2507 of 2023(respondents No.4 to 9 in CWPIL No.19 of 2023) are usurpers of public office right from their inception and thus, their continuance in the office, based on their illegal and unconstitutional appointment, is completely impermissible in law. Accordingly, from now onwards, they shall cease to be holder of the office(s) of Chief Parliamentary Secretaries with all the consequences.

Accordingly, protection granted to such appointment to the office of Chief Parliamentary Secretary/ or Parliamentary Secretary as per Section 3 with Clause (d) of Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 is also declared illegal and unconstitutional and thus, claim of such protection under above referred Section 3(d) is inconsequential. Natural consequences and legal implications whereof shall follow forthwith in accordance with law.

उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसी ही नियुक्तियां असम सरकार द्वारा किये जाने पर आयी याचिका के फैसले के आधार पर दिया है। स्मरणीय है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा मंत्रीमंडलों के गठन में मंत्रियों की संख्या निर्धारित करते हुये 1-1-2004 को संविधान में 91वां संशोधन करके यह संख्या 15% निर्धारित की थी। जहां विधानसभा की सदस्य संख्या एक सौ से कम थी वहां पर मंत्रियों की संख्या बारह तय की थी। हिमाचल में इस संविधान संशोधन के बाद मंत्रियों की कुल संख्या बारह ही हो सकती है। लेकिन कई राज्यों में इस संविधान संशोधन को नजरअन्दाज करके मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव बनाने के अपने- अपने अधिनियम पारित कर लिये। ऐसे अधिनियमों को देश के आठ उच्च न्यायालय रद्द कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्यों के ऐसे अधिनियमों को colourable legislation कहा गया है। संसद इस आश्य के संविधान संशोधन को पारित कर चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय इसके पक्ष में फैसला दे चुका है ऐसी स्थिति में राज्यों के इस आश्य के अधिनियमों को अदालतों का संरक्षण नहीं मिल पाया है। इस परिदृश्य में प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार के अधिनियम और उसके तहत की गयी नियुक्तियों को illegal,unconstitutional और void ab-initio करार दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि Natural consequences and legal implications whereof shall follow forthwith in accordance with law. उच्च न्यायालय ने 1971 के उस अधिनियम को भी अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया है जिसके तहत अयोग्य घोषित होने के खिलाफ संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण के अवैध और असंवैधानिक घोषित होने से जो भी लाभ इन लोगों को एक विधायक के अतिरिक्त मिले हैं उनकी भी वसूली होने की संभावना बन जाती है। प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना करते हुये इन्हें पदों से मुक्त करते हुए अन्य सुविधाएं भी वापस ले ली हैं। सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है। सरकार की चुनौती के साथ ही याचिकाकर्ता भाजपा विधायकों की ओर से भी कैबिएट दायर कर दी गयी है। इस वस्तु स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे मिलने की संभावना नहीं है। क्योंकि यह लोग पद छोड़ चुके हैं। पद छोड़ने से मामले की तत्कालिकता नहीं रह जाती। ऐसे में यदि सरकार की अपील सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई के लिये आती है तो इस कालखण्ड में राज्यपाल संविधान की धारा 191 और 192 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये इन लोगों को सदन की सदस्यता से बाहर कर सकते हैं ।

शैल के पाठक जानते हैं की शैल ने पिछले वर्ष नौ जनवरी 22 मई और 23 नवम्बर को इस विषय पर विस्तार से लिखा था। स्व.वीरभद्र के कार्यकाल में भी प्रदेश उच्च न्यायालय ऐसी नियुक्तियों को सिटीजन प्रोटेक्शन फॉर्म की याचिका पर रद्द कर चुका है। सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गयी थी। शीर्ष अदालत में हिमाचल की एसएलपी असम के मामले के साथ टैग हुई थी। इस पर जुलाई 2017 में फैसला आया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा था कि राज्य विधायिका ऐसा कोई अधिनियम पारित करने की पात्र ही नहीं है। शैल ने शीर्ष अदालत का यह फैसला पाठकों के समक्ष रख दिया था। अब असम के आधार पर ही प्रदेश उच्च न्यायालय का विस्तृत फैसला आया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले का प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले के बाद सरकार के खिलाफ उभरते रोष के स्वर ज्यादा मुखर होने की संभावना है।

तकनीक ने बदला पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता के मूल्य बनाए रखे मीडिया:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह के अवसर पर कहा कि तकनीक ने पत्रकारिता का स्वरूप

पूरी तरह से बदल दिया है। इस बदलाव के कारण पत्रकारिता के मूल्यों को बचाये रखने में मीडिया कर्मियों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता के समक्ष कई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं, जिनको दूर करते हुए मीडिया समाज तक सटीक और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने में मदद कर सकता है।

उप-मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट और कृत्रिम मेधा (एआई) के कारण सटीक जानकारी पहुंचाने में जहां नई चुनौतियां और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वहीं इसके कारण त्वरित जानकारी समाज के विभिन्न वर्गो तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि बीते दो दशकों में इंटरनेट ने पत्रकारिता के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जिसके दृष्टिगत समाचारों की विश्वसनीयता पर भी समय-समय पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते रहे हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि यह मीडिया कर्मियों का नैतिक दायित्व है कि इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हुए समाज को विश्वनीय और तथ्यात्मक सूचना पहुंचाए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों को और दृढ़ता से अपनाने और सोशल मीडिया के इस दौर में भी समाचारों के सभी पक्षों को समाज तक पहुंचाने और विश्लेषण करने का आहवान किया।

उन्होंने मीडिया कर्मियों से सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यो को लाभार्थियों तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पत्रकारों गौरव बिष्ट, आनंद बौद्ध और विपिन काला के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने पत्रकारिता के दौरान अपने संस्मरण भी साझा किए।

इससे पूर्व, हि.प्र. विश्वविद्यालय शिमला के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रो. शशि कांत शर्मा ने प्रेस के बदलते स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इंटरनेट और एआई के माध्यम से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में सूचना के माध्यम उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम में आउटलुक के ब्यूरो चीफ अश्वनी शर्मा ने कहा कि आभासी दुनिया के कारण पत्रकारिता की प्रकृति में अमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला है। हम सभी का दायित्व है कि इस युग में भी सटीक सूचना को तकनीक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं।

हिमाचल दस्तक समाचार पत्र के संपादक हेमंत कुमार ने तकनीक के इस दौर में सूचना को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और उसके प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रेस के मूल स्वरूप को तकनीक के साथ सामंजस्य से आगे बढ़ाते हुए विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी।

इंडिया टुडे के संपादक मनजीत सहगल ने प्रेस के बदलते स्वरूप पर आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इंटनेट के माध्यम से समाचार और जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या लगभग 70 फीसदी है लेकिन तथ्यों को जांचने के लिए कोई पुख्ता तंत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मीडिया कर्मियों का दायित्व है कि पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखते हुए लोगों तक सूचना का संप्रेषण किया जाए।

कार्यक्रम में निदेशक सूचना एवं जन संपर्क राजीव कुमार ने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। उन्होंने सभी वक्ताओं और उपस्थित मीडिया कर्मियों का कार्यक्रम में शामिल होने पर आभार व्यक्त किया और मीडिया कर्मियों को प्रेस दिवस की बधाई दी।

समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, सचिव सूचना एवं जन संपर्क राकेश कंवर सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी उपस्थित थे।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयन्ती पर बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिक्खों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरू नानक ने लोगों को एकता, समरसता, सौहार्द और सेवाभाव का मार्ग दिखाया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने स्नेह, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरू नानक जी ने विनम्रता और मानवता की सेवा करना सिखाया है।

नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाएगी प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणामूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को

रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार उदार और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदकों का विभागवार ब्यौरा संकलित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक आवेदकों को लाभान्वित करने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं और अनाथों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता देकर आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

पहली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद वह सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्षो के कार्यकाल के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सचिव एम. सुधा देवी, राकेश कंवर और सचिव विधि शरद कुमार लग्वाल भी बैठक में उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि संस्कृति हमारी विरासत है और हमें अपनी विरासत का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम समृद्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्री रेणुका जी हिमाचल का सबसे सुंदर तीर्थ स्थल है। माता श्री रेणुका जी और भगवान परशुराम जी के मिलन की यह परम्परा और रेणुका झील लोगों के आकर्षण का केंद्र है तथा लोग इस सदियों पुरानी परंपरा का उत्साहपूर्वक पालन करते हैं।

शुक्ल ने कहा कि श्री रेणुका जी मेला भगवान परशुराम का उनकी माता श्री रेणुका जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है तथा यह भारतीय समाज के समृद्ध मूल्यों का संवर्द्धन करता है। उन्होंने कहा कि मेले और त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं तथा इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रकार हमारा समाज समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, हम अपने मूल्यों को भी अक्षुण्ण बनाए रखें।

उपायुक्त एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष सुमित खिमटा ने मेले के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस अवसर पर लेडी गवर्नर को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदर्शनी में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर उद्योग विभाग की प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

राज्यपाल सिरमौर जिला के अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने कहा कि मेले और त्योहार वर्षो से हमारी संस्कृति का पोषण करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी की है। राज्यपाल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जिस उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी तथा कहा कि श्री रेणुका जी का अपना धार्मिक महत्व है। इस पवित्र स्थान पर पूजा-अर्चना के लिए पूरे भारत से लोग यहां आते हैं।

उन्होंने भगवान परशुराम जी और माता श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और देव-विदाई शोभा यात्रा में भी भाग लिया।

इससे पूर्व राज्यपाल ने स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध सिरमौरी सिंगटू नृत्य भी देखा।

राज्यपाल श्री रेणुका जी से वर्चुअल माध्यम द्वारा बिहार में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह दिवस भारत के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और झारखंड की मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 'धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत सिरमौर जिले के छह लाभार्थियों जाहिद हसन, नूर हसन, लियाकत अली, भूरा सिंह, अमरनाथ और हुसन सिंह को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

एचपीएसईबीएल के कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से एचपीएसईबीएल कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर के नेतृत्व में भेंट की और उन्हें विभिन्न विषयों और मांगों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्षो के भीतर 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है तथा कर्मचारियों के कल्याण के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी उनके परिवार की तरह हैं और उनके कल्याण के लिए निरतंर तत्परता से कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और एचपीएसईबीएल कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरा लाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

31 मार्च, 2025 तक दूध की खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टमः सीएम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25.67 करोड़ रुपये की लागत से तैयार मिल्कफेड के 50 हजार लीटर प्रतिदिन

क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारम्भ किया। यहां पहले ही 20 हजार लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस संयंत्र की क्षमता 70 हजार लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी तथा दही का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र की क्षमता बढ़ने से चार जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी तथा किन्नौर के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक एक ऐसा डिजिटल प्रणाली शुरू करें, जिससे दूध की खरीद में पारदर्शिता आए और किसानों को एसएमएस के माध्यम से उनके दूध की गुणवत्ता और उसके मूल्य की जानकारी प्रदान की जाए। इस प्रणाली के तहत दूध की खरीद का रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो और किसानों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि सभी विभागों में सुधार किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा 'मैंने कभी भी राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं किया। मैं आम परिवार से सम्बंध रखता हूं और मेरी माता भी गांव में खेती करती है। कोई भी किसान दूध का दाम बढ़ाने की मांग को लेकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैंने गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए दूध का दाम 13 – 15 रुपये बढ़ाया। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है और आने समय में पशुपालकों को और भी सौगातें देंगे।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवी – देवताओं और जनता के आशीर्वाद से हर चुनौती को पार कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दी गई थी और सरकार ने किसानों और सेब बागवानों का उत्पाद मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों को भी गत वर्ष प्रदान किए गए विशेष राहत पैकेज में शामिल करने का फैसला किया है।

कृषि एवं पशु पालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि आज युवा पीढ़ी खेतीबाड़ी से पीछे हट रही है। वर्तमान राज्य सरकार लोगों को खेतीबाड़ी से जोड़ने और उनकी आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने पशुधन की नस्ल में सुधार का जिम्मा उठाया है।

उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ को अपने उत्पादों के मूल्यवर्द्धन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों को और बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पहाड़ी गाय के दूध को अलग ब्रांड के रूप में प्रचारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गुणवत्तायुक्त दूध के लिए किसानों को अपने पशुधन की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों से गोबर खरीदने की योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है और जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दत्तनगर में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रप का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, जिससे क्षेत्र के किसानों के साथ – साथ विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिकी में सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुविधा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि किसानों और दूध उत्पादकों को लाभ मिल सके।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 में हिमाचल मंडप का शुभारम्भ

शिमला/शैल। आवासीय आयुक्त, मीरा मोहंती ने नई दिल्ली,

प्रगति मैदान में 27 नवम्बर, 2024 तक चलने वाले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिमाचल मंडप का शुभारम्भ किया।

हिमाचल मंडप में स्थापित 16 स्टॉलों में विशुद्ध हिमाचली उत्पाद ही बिक्रय के लिए रखे गए है, जिसमें विशेष रूप से हैंडलूम एवं हेंडीक्रा"ट उत्पाद, फल उत्पाद के अलावा कांगड़ा चाय व हिल्ली बास्केट, कुल्लू द्वारा प्रदर्शित एप्पल चिप्स, ड्राई गुच्छी, सिबक्थोर्न एवं किडनी राजमाह पर आगंतुकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो रहा है। इन उत्पादों को लेकर मंडप में पधारने वाले लोगों में बहुत दिलचस्पी देखी जा रही है। इसके अलावा हिम – ईरा व जय महासू देवता स्वयं सहायता समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश की जड़ी बूटियों से तैयार साबुन, तेल, हर्बल उत्पादों व विशेषकर शुद्ध पहाड़ी घी भी प्रदर्शित किए गए हैं। इन सभी उत्पादों की बिजनेस नेटवर्किंग भी मंडप में मौजूद उद्योग विभाग के कैम्प ऑफिस द्वारा की जा रही है।

हिमाचल मंडप में आगामी दिनों में आगंतुकों की संख्या में काफी बढौतरी होने की उम्मीद है। सभी उत्पादों के विक्रय से कारोबार में बढ़ौतरी होगी और इनकी ब्रांडिग व बिजनेस नेटवर्किंग में भी वृद्धि होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने लवी मेले में 'दोहडू' और अखरोट खरीदे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रामपुर में लवी मेले में

8,900 रुपये की खरीदारी की। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी स्टालों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प उत्पादों व सूखे मेवों के एक स्टाल पर रुके। उन्होंने महिला विक्रेता से उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की और एक किलोग्राम अखरोट और एक दोहडू ऊनी कंबल खरीदा। मुख्यमंत्री ने कंबल के लिए 8,000 रुपये और अखरोट के लिए 900 रुपये का भुगतान गूगल पे के माध्यम से किया।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, जो न केवल व्यापारिक वस्तुएं हैं बल्कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक भी हैं। उन्होंने कहा कि लवी जैसे मेले न केवल उत्सव हैं, बल्कि भाईचारे और सद्भावना के भी प्रतीक हैं, जिनका सदियों पुराना इतिहास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और बीते दो वर्षों में इस संबंध में अनेक पहल की गई हैं तथा भविष्य में इन प्रयासों को और गति देने की योजना है।

प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बिलासपुर में आयोजित होगा भव्य समारोह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट

की और बिलासपुर जिला के विकासात्मक कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिला के कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में आयोजित किया जाएगा, इस समारोह में 25 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में चारों नेताओं ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह ऐतिहासिक होगा।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं से जिला में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक परियोजनाओं पर चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर जिला के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष बैरी – दड़ोला पुल के निर्माण की मांग करते हुए कहा कि इस पुल के निर्माण से तीन विधानसभा क्षेत्रों बिलासपुर सदर, झंडूता और घुमारवीं जिला के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुल बनाने के लिए दोनों ओर से एप्रोच रोड़ पहले ही तैयार है। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करेगी और इसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार पुल के निर्माण के लिए धन का समुचित प्रावधान सुनिश्चित करेगी।

पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत स्वारघाट को नगर पंचायत बनाने की मांग उठाई। जबकि विवेक कुमार ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत झंडूता को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी और दोनों नगर पंचायत बनाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

कांग्रेस नेताओं ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एम.टेक कोर्स आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रयास कर रहे हैं, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बिलासपुर जिला की गोबिंद सागर झील में वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी।

मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी मंदिर में की पूजा–अर्चना

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर में श्री रेणुका झील की नैसर्गिक सुन्दरता को निहारा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीन किलोमीटर पैदल चलकर प्रकृति के सान्निध्य का आनन्द उठाया। वह मंदिर में आए श्रद्धालुओं से गर्मजोशी से मिले और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई।

मुख्यमंत्री ने श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा – अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए बेहतर व्यवस्था प्रबन्धन करने के निर्देश दिए।

विधायक अजय सोलंकी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, कांग्रेस नेता दयाल प्यारी, उपायुक्त सुमित खिमटा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

कुछ लोग सफलता कं केवल सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं।

..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

प्रैस के बदलते स्वरूप में कुछ सवाल

इस बार राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर चर्चा का विषय था प्रैस का बदलता स्वरूप। इस चर्चा के लिये संवाद गोष्ठी का आयोजन पहले की तरह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने किया। परन्तु इस बार विभाग ने इस संवाद गोष्ठी के लिये सारे पत्रकारों को आमंत्रित और सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। इसी से पता चलता है कि सही में प्रैस के प्रति इस सरकार की सोच और समझ क्या है। इस सरकार को सत्ता संभाले दो वर्ष होने जा रहे हैं। इन दो वर्षों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से लेकर विभाग के निदेशक सचिव मीडिया सलाहकार और प्रभारी मंत्री किसी ने भी मीडिया कर्मियों से कोई औपचारिक बैठक नहीं की है जिसमें मीडिया कर्मी अपनी बात सरकार के सामने रख पाते। बल्कि सरकार ने व्यवहारिक रूप से जिस तरह से पत्रकारों के खिलाफ पुलिस तंत्र का प्रयोग करना शुरू किया है वह पिछली सरकारों से भी कहीं ज्यादा आगे चला गया है। अखबारों के विज्ञापन बन्द करने से लेकर उनके अवासों के किराए में पांच गुना तक बढ़ौतरी कर दी गयी। सरकार के इस चलन से स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर रखने का हर संभव प्रयास कर रही है। क्योंकि समाचारों पर स्पष्टीकरण जारी करने या मानहानि के मामले दायर करने की जगह जब सरकार और उसका तंत्र पुलिस का प्रयोग करने पर आ जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार हर तरीके से प्रैस को डरा धमका कर रखना चाहती है। इस अवसर पर यह सब इसलिये लिखना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रैस के बदलते स्वरूप के बीच पत्रकारों से पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया गया है। पत्रकार हर सरकार का स्थाई विपक्ष माना जाता है। यह पत्रकार को तय करना होता है कि उसने सरकार का रिपोर्ट बनकर सरकार का ब्यान यथास्थिति आम आदमी के सामने रखना है या आम आदमी के लिये सरकार से तीखे सवाल करने हैं। क्योंकि सरकार का गुणगान करने के लिये इतना बड़ा विभाग कार्यरत है। हर मंत्री के साथ विभाग के लोग अटैच रहते हैं। हर सार्वजनिक उपक्रम में लोक संपर्क की इकाई स्थापित रहती है। सरकार के पास अपनी बात आम आदमी तकपहुंचाने के लिए दर्जनों साधन हैं। परन्तु आम आदमी के पास उसके सवाल सरकार से पूछने के लिये पत्रकार के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जिस सरकार को अपने हर फैसले पर स्पष्टीकरण देने पड़े उन्हें संयोजित करना पड़े उस सरकार से कितने सवाल पूछे जाने चाहिए? उसके हर दावे पर क्या सवाल नहीं उठ रहे हैं। इसलिए जब कोई पत्रकार आम आदमी का पक्ष लेकर सरकार से सवाल करेगा तो उसे सरकार की ताकत के साथ टकराने का साहस रखना ही होगा। एक समय था जब सरकारें लोक लाज से डरती थी। लेकिन आज यह लोक लाज कोई सवाल ही नहीं बचा है। आज तो सत्ता में आकर पांच साल तक सत्ता सुख कैसे भोगना इसका जुगाड़ बैठाने की योजनाएं बनाने में ही समय निकल जाता है। आज तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में विरोध प्रदर्शन एक रस्म अदागी से अधिक कुछ नहीं रह गया है। एक समय सरकारें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती थी। विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ राज्यपाल को आरोप पत्र सौंपता था और सत्ता में आकर उस पर जांच की जाती थी। लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन में भ्रष्टाचार पर कोई बड़ा दावा करना भूतकाल की बात हो गया है। अब तो यदि कोई पत्रकार भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने का साहस करता है तो सबसे पहले उसी के खिलाफ पुलिस बल के प्रयोग का प्रयोग शुरू हो जाता है। व्यवहारिक रूप से बदल रहे इस स्वरूप के बीच भी पत्रकारिता के मूल्य की रक्षा करना सही में एक चुनौती है। शैल का अपने पाठकों से वायदा है कि हम इस चुनौती से डरेंगे नहीं और आम आदमी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।

क्या भारत एक स्वस्थ युवाओं का देश भी है?

डॉ. नीलम महेंद्र

वर्तमान भारत जिसके विषय में हम गर्व से कहते हैं कि यह एकयुवा देश है, क्या हम उसके विषय में यहभी कह सकते हैं कि भारत स्वस्थ युवाओं का देश है?

यह प्रश्न अनायास नहीं है अपितु यह प्रश्न उन सर्वेक्षणोंके आधार पर है जिनमें हमारे बच्चों में टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते मामलों का गम्भीर विषय सामने आया है ।

कभी वयस्कों में देखी जाने वाली बीमारी मधुमेह अब युवाओं और बच्चों तक को एक बड़ी संख्या में अपनी चपेट में ले चुकी है। विडम्बना यह है कि खानपान की आदतों के कारण होने वाली मधुमेह जैसी बीमारी के ये बढ़ते आँकड़े ऐसे देश में सामने आ रहे हैं जहाँ बचपन की स्वास्थ्य समस्याएँ पहले मुख्य रूप से कुपोषण और संक्रामक रोगों से संबंधित थीं। लेकिनअधिक चिंताजनक विषय यह है कि देश के युवाओं में मधुमेह रोग जिस प्रकार अपने पैरपसार रहा है उसके दूरगामी प्रभाव सिर्फ इन युवाओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्किदेश के भविष्य पर भी निश्चित तौर पर पढ़ेंगे।

इस विषय में सबसे निराशाजनक पहलू यह है कि देश की युवा पीढ़ी में मधुमेह के बढ़ते मामले आधुनिक जीवनशैली से जुड़े हैं। क्योंकि एक तरफ वर्तमानजीवन शैली के चलते हमारी शारीरिक गतिविधियां सीमित हो रही हैं वहीं दूसरी तरफडिजिटलाईजेशन के परिणामस्वरूप हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ जा रहा है। मोबाइल फोन, वीडियो गेम और डिजिटल मनोरंजन के साधन बच्चों के जीवन का मुख्य केंद्र बन गए हैं। इन सब के बीच शारीरिक खेल और बाहरी गतिविधियाँ बच्चों के जीवन में से कहीं पीछे छूटगई हैं। जैसे – जैसे तकनीक अधिक सुलभ होती जा रही है, बच्चे स्क्रीन के सामने अधिक समय व्यतीत रहे हैं और दौड़ने या खेल में कम समय बिता रहे हैं। यह वाकई में चिंताजनक है कि जीवनशैली का यह बदलाव सिर्फ़ बच्चों के समय बिताने के तरीके को ही नहीं बदल रहा है बल्कि यह उनके स्वास्थ पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हालिया रिपोर्ट से यह गम्भीर विषय सामने आया है। राष्टीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि पिछले पाँच वर्षो में 5 – 14 वर्ष की आयु के बच्चो में टाइप 2 मधुमेह की घटनाओं में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि यह वृद्धि केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के ग्रामीण और अर्ध – शहरी इलाकों में भी देखी जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन की इस रिपोर्ट को पढ़ने पर यह विचलित करने वाला तथ्य सामने आया कि ग्रामीण जिलों में, बच्चों में बढ़ते मोटापे के कारण उनमें टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा एकसे तीन गुना बढ़ गया है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि कई बच्चे अब वयस्क होने से बहुत पहले ही इस बीमारी की शुरुआत प्री डाइबेटीस का सामना कर रहे हैं।

विभिन्न रिसर्चों के माध्यम से यह बात सिद्ध हो चुकी हैकि टाइप 2 मधुमेह एक जीवनशैली से जुड़ी बीमारी है। यह तब होती है जब हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है या जब अग्न्याशय सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। अधिकांश तौर पर यह बीमारी वयस्कों से जुड़ी होती है, लेकिन गतिहीन जीवनशैली, अस्वास्थ्य कर आहार और मोटापे के कारण आज यह बच्चों में भी तेजी से अपने पैर पसार रही है।

बच्चों में बाल्यावस्था में ही मधुमेह का बढ़ना चिंताजनक है क्योंकि न सिर्फ यह तात्कालिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उलझने पैदा करती है बल्कि इस बीमारी के साथ होने वाली दीर्घकालिक जटिलताओं के कारण हृदय संबंधी समस्याएं, गुर्दे की बीमारी, तंत्रिका क्षति और यहांतक कि दृष्टि हानि भी हो सकती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, पिछले दशक में टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। 2023 में, भारत में अनुमानित 2 मिलियन बच्चे इस बीमारी से पीड़ित थे, और विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षो में यह संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। यह समस्या विशेष रूप से शहरों में अधिक गंभीर है, जहाँ बच्चों के पास चीनी और वसा से भरपूर फ़ास्ट फूड के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के दबाव के कारण उनकी खेल कूद जैसी शारिरिक गतिविधियां न के बराबर होतीहो चुकी हैं। परिणामत: जो बच्चे कभी क्रिकेट, फुटबॉल खेलने या अपने दोस्तों के साथ बस इधर – उधर दौड़ने का सपना देखते थे, वे अब इंसुलिन इंजेक्शन, डॉक्टर के पास जाने और आहार प्रतिबंधों की दिनचर्या तक सीमित रह गए हैं। जिन बच्चों को अपने बचपन का आनंदलेना चाहिए, वे जीवन भर की बीमारी से निपटने के भारी बोझ के साथ बड़े हो रहे हैं।

माता – पिता के लिए, यह स्थिति और भी ही दुखद है। अपने बच्चों को स्वस्थ और मजबूत होते देखने की खुशी की जगह एक जटिल बीमारी से निपटने की जद्दोजहद ने ले ली है।

क्योंकि औसत भारतीय बच्चा आज औसतन 4 – 5 घंटे प्रतिदिन डिजिटल उपकरणों पर बिताता है। जबकि यह अनुशंसित स्क्रीन समय से काफी अधिक है। क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के लिए यह समय प्रतिदिन दो घंटेसे अधिक नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन, टैबलेट और कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग हमारी शारीरिक गतिविधियों को सीमित कर देता है।

शारिरिक गतिहीन जीवन शैली के अतिरिक्त आहार की हमारी बदलती आदतें भी इन परिस्थितियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पारंपरिक, घर का बना खाना, जो कभी भारतीय परिवारों की पहचान था, आज उसकी जगह फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स ने ले ली है। ये खाद्य पदार्थ न केवल कैलोरी बहुल होते है बल्कि वसा, शर्करा और लवण जैसे तत्वों से भी भरपूर होते हैं जो मानव शरीर में इंसुलिन के प्रतिरोध और मोटापे को बढ़ाने का अहम कारण हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लगभग 40: बच्चे नियमित रूप सेफास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बचपन में होने वाले मधुमेह का असर सिर्फ़ बच्चों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि परिवारों पर, उनके माता पिता पर भीपड़ता है। और कालांतर में युवा रोगियों की बढ़ती संख्या का प्रभाव कहीं न कहीं देशकी उन्नति और उसके भविष्य पर भी पड़ता है।

लेकिन अच्छी खबर यहहै कि मधुमेह, ख़ास तौर पर टाइप 2 मधुमेह को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देकर और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, हम मौजूदा आंकड़ों को पलट सकते हैं। अनेक रिसर्चो में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जिन लोगों ने स्वस्थ आहार विहार और शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी जीवन शैली मेंबदलाव किया वे काफी हद तक मधुमेह से लड़कर जीते भी हैं।

आज जब हम इस संकट का सामना कर रहे हैं तो एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, इस देश के एक जागरूक नागरिक के रूप में,माता पिता के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि इस देश के हर बच्चे को स्वस्थ, सक्रिय जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। आइए सुनिश्चित करें कि वे मैदानों में खेलें, दोस्तों के साथ तितलियों के पीछे दौड़ें, अपने बचपन को स्क्रीन के आगे नहीं बाग बग़ीचों और खुले मैदानों में जिएं ताकि मधुमेह बीमारियों के बोझ सेमुद्र होकर बड़े होने का सपना देख सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें।

हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन 6 लाख मीट्रिक टन के पार, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का 4476 करोड़ रुपये का योगदान

शिमला। बागवानी क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश की विविध जलवायु दृषि विशेष रूप से फल उत्पादन की दृष्टि से बेहद अनुकूल है। यह क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार

सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बागवानी योग्य भूमि को 8085 हेक्टेयर तक बढ़ाया

करोड़ रुपये का वार्षिक योगदान दे रहा है इससे लगभग 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

विगत दो वर्षों में प्रदेश सरकार

और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है और वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों, सुधारों और दूरदर्शी पहलों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। प्रदेश सरकार के नवाचार प्रयासों से राज्य में बागवानी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ है। वर्तमान में राज्य में लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी गतिविधियां की जाती है जिसमें 6.38 लाख मीट्रिक टन फलों का उत्पादन होता है। बागवानी क्षेत्र प्रदेश के राजस्व में लगभग 4,476 की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप राज्य में फल उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 25,829 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन, 4,081 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन दर्ज किया गया है और 659 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की गई है। इससे ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को संबल मिल रहा है और राजस्व के नए स्रोत सृजत हो रहे हैं।

राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 8,085 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फलों की खेती के अंतर्गत लाया गया है। प्रदेश में नर्सरियों में फलों की गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार की जा रही है। नर्सरियों में 25.12 लाख फलों के पौधे तैयार किए और 27.64 लाख से अधिक पौधे बागवानों को वितरित किए गए हैं। बागवानों को उच्च गुणवत्तायुक्त पौधे प्रदान करने के लिए 226 नर्सरियां और 160 बड वुड बैंक हिमाचल प्रदेश फल नर्सरी पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत किए गए हैं।

प्रदेश में पौध संरक्षण दवाओं पर 13.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और फलदायी पौधों के संरक्षण के लिए 288.55 मीट्रिक टन दवायें फल उत्पादकों को उपलब्ध करवाई गई। प्रदेश के 1,195 हेक्टेयर बागवानी भूमि अब जैविक कीट नियंत्रण से लाभान्वित हो रही है और लगभग 542 बागवानों को इन विधियों में प्रशिक्षित किया गया है। सरकार की इस पहल से बागवानों को स्वस्थ पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

प्रदेश में किसानों के उत्पादों को बेहतर दाम और बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 819 खरीद केंद्र स्थापित किए गए, जिससे बागवानों से सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों की बिक्री की सुविधा मिल रही है। इस योजना से 10,753.79 लाख रुपये के 89,615.05 मीट्रिक टन सेब, 1.55 लाख रुपये के 12.90 मीट्रिक टन आम और 5.85 लाख रुपये के 50.61 मीट्रिक टन नींबू प्रजाति के फलों की खरीद की गई। बागवानों को बिचौलियों से बचाने के लिए प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है जिससे राज्य के बागवानों को उनकी उपज का उचित और लाभदायक मूल्य मिल रहा है।

प्रदेश के बागवानों को बागवानी की नई पद्धतियों की जानकारी देने के लिए उन्हें निरन्तर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। दो वर्षों के दौरान 1,20,076 से अधिक बागवानों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम बागवानी तकनीकों से प्रशिक्षित किया गया है।

हिमाचल में विभिन्न प्रजातियों के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की जा रही प्रदेश सरकार की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है।

पहाड़ों में फूलों की खेती बदल रही किसानों की जिंदगी

शिमला। उपमंडल पधर के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर व्यावसायिक फसलें अपना रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा "लोरीकल्चर अर्थात फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं उनकी सहायक बन रही हैं। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जंगली गेंदे की खेती मुनाफे की फसल साबित हो रही है।

फ्लोरीकल्चर में प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त महक योजना के तहत भी फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना के तहत जंगली गेंदे के फूल के लिए एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपए उपदान दिया जा रहा है।

उपमंडल पधर के दर्शन लाल कहते हैं कि उन्होंने 12 बीघा भूमि में जंगली गेंदे की खेती शुरू की है।

उन्होंने बताया कि सिऊन पंचायत के कचोटधार में बंजर भूमि पर लगभग 100 बीघा में गांव के अन्य लोग भी फूलों की खेती कर रहे हैं। उद्यान विभाग से उन्हें महक योजना के तहत शेड बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए सब्सिडी भी मिली, जिसमें वह जंगली गेंदे के फूलों का भंडारण करते हैं और बारिश से अब उनकी फसल भी खराब नहीं होती है।

दर्शन लाल कहते हैं कि जंगली गेंदे की खेती वे पहले भी करते थे, लेकिन कटाई के बाद तेल निकालने के लिए फूल नेरचौक मंडी ले जाने पड़ते थे, जिसमें खर्च भी बहुत अधिक आता था। हाल ही में हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा तेल निकालने की यूनिट सिऊन पंचायत के कचोटधार में निःशुल्क स्थापित की गई है, जिससे उनके माल ढुलाई की लागत बच जाती है। अब जो ग्रामीण आसपास जंगली गेंदे के फूल उगा रहे हैं, उनसे 23 रुपए प्रति किलो की दर से वहीं पर यह फूल भी खरीदते हैं। इससे निकले तेल की कीमत बाजार में 12 से 15 हजार रुपए प्रति लीटर है। जंगली गेंदे की खेती से वह सालाना लगभग 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। किसान हितैषी योजनाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार भी जताया है।

गांव के पूर्ण चंद कहते हैं कि वह भी अपनी बंजर भूमि पर जंगली गेंदे की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जंगली जानवरों से अकसर जो फसल को नुकसान हो रहा था, उससे निजात पाने के लिए अब वे फूलों की खेती कर रहे हैं। इसका उपयोग साज-सज्जा, पूजा के साथ-साथ औषधीय उपयोग व तेल के लिए भी किया जाता है।

उद्यान विकास अधिकारी द्रंग कविता शर्मा ने बताया कि उपमंडल पधर में किसान-बागवान अब जंगली गेंदे के फूल की खेती भी कर रहे हैं। विभाग की ओर से एक हेक्टेयर पर 30 हजार रुपए प्रति लाभार्थी उपदान के तहत दो बागवानों को 60 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। जलवायु उपयुक्त होने से इस क्षेत्र में जंगली गेंदे की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पारम्परिक खेती की तरह बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। जंगली जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

प्रदेश में किसानों एवं बागवानों की आमदनी बढ़ाने एवं उनके खेतों के उचित प्रयोग के लिए सरकार ने महक योजना आरम्भ की है। इसके तहत किसानों और बागवानों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों की खेती से जोड़ा जा रहा है। किसान अपने बगीचों या खेतों में अन्य फसलों के साथ भी इनकी खेती कर सकते हैं। रोजमेरी फूल, लैमन ग्रास इत्यादि पर 50 फीसदी तक उपदान भी प्रदान किया जाता है। बागवानी विभाग इसकी खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी देता है। उन्हें एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाता है। फसल कटाई, कीट प्रबंधन एवं कटाई के समय इत्यादि पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रदेश में 128 युवा ले रहे हैं ड्रोन तकनीक का ज्ञान

शिमला। हिमाचल को देश का कौशल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन कर उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

हिमाचल में रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन पहलों के माध्यम से कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। निरंतर बदलते परिवेश में बच्चों को नए युग की तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ बनाने की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में डिग्री कोर्स कंप्यूटर साइस एवं इंजीनियरिंग के तहत ए.आई. और डाटा साइंस, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहडू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग व आई. ओ.टी. डिप्लोमा कोर्स और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चम्बा में मैकाट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स जैसे नए पाठयक्रम आरम्भ किए गए हैं। न्यू एज पाठयक्रमों के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के मार्ग खुल रहे हैं।

प्रदेश सरकार का लक्ष्य कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाना है। नई तकनीक के क्षेत्र में ज्ञान के साथ-साथ प्रशिक्षण की भी अहम भूमिका है। प्रशिक्षुओं को बेहतर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 विद्यार्थियों और राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा बहुतकनीकी संस्थानों के 20 प्रशिक्षकों को आई.आई.टी. मंडी में रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सेमिकंडक्टर के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के 20 प्रशिक्षकों को आई.आई.टी. रोपड़ और दिल्ली में सेमिकंडक्टर इको-सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में सेमिकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना और प्रदेश में प्रोद्यौगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय सदस्यों और 6 विद्यार्थियों को भारतीय सूचना प्रौद्यागिकी संस्थान ऊना में मशीन लर्निंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ड्रोन प्रौद्योगिकी आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश के 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत 128 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार के यह प्रयास हिमाचल को आईटी हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा संस्थान कार्यरत हैं। युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों व कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन भी निरंतर करवाया जाता है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 5,731 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कैम्पस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। प्रदेश सरकार नवाचार पहल के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विषयों का ज्ञान प्रदान कर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है और सरकार की इस पहल से हिमाचल में सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरूआत हो रही है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 'कम एण्ड इंसटाल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स' पहल: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार 'कम एण्ड इन्सटाल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स' पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य

उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा व अन्य सम्बन्धित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 'कम एण्ड इन्सटाल सोलर पावर प्रोजेक्टस' पहल के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन व प्रक्रियाओं पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए सभी अड़चनों को समयबद्ध दूर किया जा रहा है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षता को और अधिक बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की भूमिका अहम है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र की आर्थिकी को संबल मिलता है और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। सौर ऊर्जा परियोजनाएं पारिस्थितिकीय संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कुल 300 मैगावाट क्षमता की ग्राउंड मांउटिड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं जिनमें से 62 मैगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। सरकारी क्षेत्र में 32 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा चुकी है और 15 मैगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विभिन्न कार्यो की समीक्षा करते हुए बोर्ड का राजस्व व संसाधन बढ़ाने के लिए नवोन्मेषी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं में संसाधनों के सदुपयोग के साथ साथ उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुझाव दें।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विभिन्न उपक्रमों व परियोजनाओं से ऊर्जा की खरीद व व्यय सम्बन्धित पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विद्युत की विवेकपूर्ण खरीद और संसाधनों के सदुपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने विद्युत बोर्ड में टेंडर प्रक्रिया में सम्पूर्ण पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडल और वृत्त स्तर पर होने वाले तकनीकी और वाणिज्यिक नुक्सान के बारे में विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर प्रबन्धन के लिए रेवेन्यू मैपिंग करने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा।

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश कुमार प्रजापति, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

सीपीएस के फैंसले से प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं: प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि सीपीएस पर उच्च न्यायालय के फैंसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नही है। सरकार पूरी तरह मजबूत और सुरक्षित है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी सीपीएस की नियुक्तियां होती रही है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आगे क्या करना है यह सरकार को निर्णय करना है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के बारे पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान व प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला से भेंट कर विचार विमर्श करेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू,उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी विचार विमर्श कर पीसीसी की कार्यकारणी को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह चाहती है कि संगठन में उन लोगों को शामिल किया जाए जो अपना पूरा समय संगठन के कार्यो को दे सकें।

बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे महत्वाकांक्षी प्रयास:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के मुख्य अभियन्ताओं के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बोर्ड को आत्मनिर्भर और दक्ष संगठन बनाने की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बोर्ड को उपभोक्ता मित्र बनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा रहा है। बोर्ड उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विद्युत आपूर्ति लागत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम दोहन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को वर्ष, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रायोगिक तौर पर धर्मशाला और शिमला शहर में स्मार्ट मीटर लगाने से राजस्व की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि बोर्ड की कार्य प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड के आईटी विंग को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। सब स्टेशनों को नवीन तकनीकों के माध्यम से संचालित करने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

बैठक में भारतीय लेखा मानक के अनुसार बोर्ड की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

न्यायालय में हाटी मामले की मज़बूती से करेगी पैरवी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सांय जिला सिरमौर के पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। उन्होंने श्री रेणुका जी विकास

बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मिलन का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी उत्सव प्रदेश के प्रमुख मेलों में शुमार है। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटों के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हाटी समुदाय से जुड़े मामले की न्यायालय में मजबूती से पैरवी करेगी और मामले के लिए वरिष्ठ कानूनविदों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश सरकार हाटी समुदाय के साथ दृढ़ता से खड़ी है और सिरमौर जिला का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालतें आयोजित कर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। इन लोक अदालतों में प्रदेश में 2 लाख इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें सिरमौर जिला के 13 हजार से अधिक मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।

उन्होंन कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार शैक्षणिक और स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गो को लाभान्वित करने व उनके कल्याण के लिए प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार चिकित्सकों और नर्सो की भर्ती की जाएगी और चिकित्सा कर्मियों को काम करने का बेहतर माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। विधवाओं के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें गुणात्तमक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को पड़ोसी राज्य की तुलना में 50 पैसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप, विधायक सुखराम चौधरी और रीना कश्यप ने विचार व्यक्त किए और लोगों को मेले की शुभकामनाएं दीं।

नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि श्री रेणुका जी मेले का आयोजन सदियों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश के लोग व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्षो के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों को सफलता से पार किया है। प्रदेश का समावेशी विकास करने के लिए मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ जन हितैषी निर्णय ले रहे हैं और महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जबकि विपक्ष केवल स्वार्थ की राजनीति करने में उलझा हुआ है।

इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर, पूर्व विधायक किरनेश जंग, कांग्रेस की नेता दयाल प्यारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने गारंटियों से बढ़कर किया काम:अनिरूद्ध सिंह

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने शिमला से एक प्रेस वक्तव्य जारी कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नेता चुनावी लाभ के लिए देश के अन्य राज्यों में प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के स्वाभिमान को आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी फैला रही है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में कई गारंटियों से भी आगे बढ़कर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दस में से पांच गारंटियों को पूरा कर दिया है और शेष को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा बहाल की गई है, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना' शुरू की गई है, और पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलो और मक्का के लिए 30 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।

अनिरूद्ध सिंह ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां दूध पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध का मूल्य 45 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि 6000 निराश्रित बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए देश का पहला कानून बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पहली बार राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर 2.25 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया गया। उन्होंने कहा विपक्ष को मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना करने की बजाय राज्य के समग्र विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तीन नगर परिषदों को नगर

निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाने को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में छह नई नगर पंचायतें बनाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न स्थानीय निकायों के दायरे में समाहित करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में हाल ही में खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय देहरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के हाल ही में स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुम्मा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कालेज, बढेड़ा को जीएनएम पाठयक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलैक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एम. टेक आरम्भ करने तथा इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नए डिप्लोमा पाठयक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।

बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा।

मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्व. पंडित जवाहरलाल

नेहरू को उनकी जयंती पर याद करते हुए पार्टी नेताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस दौरान कहा कि पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उन्होंने कहा कि इसी कारण आज का यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है इसलिए इनके कल्याण के लिये कार्य करने की बहुत जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने बाल दिवस पर बच्चों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओ ने पंडित नेहरू के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए।

कंप्यूटर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में

यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की तथा उन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विधि विभाग की राय लेने के पश्चात उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी।

सुमन ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 24 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया।

पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में इको-टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बनाई गई इको-टूरिज्म नीति को इन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संशोधित नीति समुदाय आधारित पारिस्थितिकी पर्यटन मॉडलों को प्रोत्साहित करती है। यह इको-टूरिज्म से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर उनकी आर्थिकी को संबल प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्ण है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए इको-टूरिज्म गतिविधियों को एकीकृत कर रही है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करने पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे इको-टूरिज्म प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मनभावन पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रेकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष 2 करोड़ों से भी अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल राज्य होने के कारण पर्यटन की दिशा में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कुछ पर्यटकों को समृद्ध जैव सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने का अवसर नहीं मिल पाता हैं, इसलिए राज्य सरकार इन बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिससे प्रत्येक पर्यटक यादगार अनुभव का आनंद उठा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रस्तावित इको टूरिज्म में ट्रैकिंग, कैंपिंग, बर्ड वॉचिंग और साहसिक खेल शामिल हैं। पर्यटकों की प्राथमिकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए इको-टूरिज्म स्थल और ट्रैकिंग मार्गो को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन पहलों का मुख्य उद्देश्य वन संसाधनों का संरक्षण करके राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन के अनुभवों को समृद्ध बनाने और स्थानीय लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों

को सशक्त करने के दृष्टिगत सिफारिशें प्रदान करने के उद्देश्य से गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप-समिति के सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा भी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, डॉक्टरों एवं पैरा-मेडीकल स्टॉफ के पदों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोगी कल्याण समितियां को सुदृढ़ करना भी इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह समितियां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निरतंर कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर उप-समिति के समक्ष रोगी कल्याण समितियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई। उप-समिति के सदस्यों ने इन रोगी कल्याण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए अपने विचार साझा किए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

उच्च न्यायालय के फैसले से मुख्यमंत्री के दावों पर लगे प्रश्न चिन्ह

कैबिनेट रैंक बांटना पड़ सकता है भारी

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स को महाराष्ट्र और झारखण्ड के चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया तब मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका जवाब देते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा प्रदेश को बदनाम कर रही है तथा प्रधानमंत्री को भी गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करने महाराष्ट्र भी गये लेकिन इन्हीं चुनाव के मतदान से पहले एक मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल भवन दिल्ली को अटैच करने के आदेश जारी हो गये। उच्च न्यायालय के यह आदेश एकदम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गये। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक होने और पांच चुनावी गारंटीयां लागू कर देने के दावों पर भी स्वत: ही प्रश्न चिन्ह लग गये। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह पैसा जमा करवाने के निर्देश बहुत पहले दे रखे थे तो उनकी अनुपालना क्यों नहीं हुई। जबकि ऐसे मामलों में अपील दायर करने के लिये भी यह शर्त रहती है कि संदर्भित पैसा अदालत की रजिस्ट्री में पहले जमा करवाना पड़ता है। अदालत के फैसले की अनुपालना न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है। उन्हें चिन्हित करने के निर्देश देते हुये इस रकम का ब्याज इस बीच के समय का उनसे वसूलने के आदेश भी अदालत ने दे रखे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई करती है या नहीं। इस सरकार के कार्यकाल में आर्विटेशन के जो मामले हुये हैं उनमें शायद पन्द्रह सौ करोड़ की देनदारी सरकार पर आ खड़ी हुई है। सभी मामलों में अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ होने की आशंकाएं सामने आयी हैं। लेकिन किसी के भी खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की बात नहीं हुई है। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय तक कई मामलों में सरकार को भारी जुर्माने तक लगे हैं। लेकिन इन मामलों का सरकार के स्तर पर कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया गया। इसी दौरान सीपीएस मामले में फैसला आया है। उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को अवैध और असंवैधानिक ठहराते हुये इस आश्य के अधिनियम को भी अवैध करार दे दिया है। 1971 के जिस अधिनियम के तहत इन लोगों को संरक्षण हासिल था उसे भी रद्द कर दिया है। इस मामले में एक दर्जन भाजपा विधायकों की याचिका उच्च न्यायालय में थी। अब इस याचिका के बहाल होने के बाद सीपीएस की विधायकी भी खतरे में आ गई है। जब याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से यह फैसला राज्यपाल के संज्ञान में ला दिया जायेगा तब राजभवन संविधान की धारा 191 और 192 के प्रावधानों के तहत कारवाई करने के लिये बाध्य हो जायेगा। संभावना है कि यह कारवाई सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला सुनवाई के लिए आने तक पूरी हो जायेगी। भाजपा सीपीएस नियुक्तियों को शुरू से ही गैर जरूरी करार देती आयी है। क्योंकि एक ओर तो सरकार वित्तीय संकट के कारण अपने वेतन भत्ते निलंबित करने के लिये बाध्य हो गयी और दूसरी ओर सीपीएस पर करोड़ों खर्च कर रही है। ऐसे में उच्च न्यायालय का फैसला सीपीएस के खिलाफ आने से भाजपा का एक और आरोप प्रमाणित हो गया है। यह फैसला भी महाराष्ट्र और झारखण्ड के मतदान से पहले आया है। इससे भी अनचाहे ही प्रदेश सरकार की परफारमैन्स इन चुनावों में भी चर्चा का विषय बन गयी है। इस फैसले को लेकर भाजपा ने उन तीन कांग्रेस विधायकों को भी लाभ के पद के दायरे में परिभाषित करना शुरू कर दिया है जिन्हें सरकार ने कैबिनेट रैंक दे रखे हैं। बल्कि कैबिनेट रैंक प्राप्त और विधायक भी कल को चर्चा का विषय बन जाएंगे। क्योंकि कैबिनेट रैंक से ही यह लोग मंत्री के बराबर सुविधाओं के पात्र बन जाते हैं।

नादौन के ई डी प्रकरण में मोड़ आने की संभावना बढ़ी

➤ बसन्त सिंह बनाम सुक्खू मामले की फाइल छापेमारी में ई डी के हाथ लगी
➤ बसन्त सिंह को बतौर गवाह ई डी ने तलब किया

शिमला/शैल। ईडी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु के विधानसभा क्षेत्र से खनन व्यवसाय से जुड़े दो कारोबारियों ज्ञानचन्द और संजय धीमान को गिरफ्तार कर लिया है। पांच माह पहले ईडी और आयकर विभाग ने हमीरपुर और नादौन में छापेमारी की थी। दो माह में तीन बार ई डी ने यहां दस्तक दी थी। नादौन में चार लोगों ज्ञानचन्द, प्रभात चन्द, संजय धीमान और संजय शर्मा के यहां छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में ई डी को क्या कुछ मिला था इसकी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई थी। लेकिन इस छापेमारी और फिर इस गिरफ्तारी के बीच 14-9-24 को एक बसन्त सिंह ठाकुर को ई डी ने बतौर गवाह दिल्ली तलब कर लिया था। बसन्त सिंह ठाकुर ने सुक्खू के 2017 के चुनाव शपथ पत्र को चुनौती दी थी। बसन्त सिंह ने आरोप लगाया था कि इस शपथ पत्र में संपत्ति को लेकर कुछ जानकारीयों को छुपा लिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस आरोप को गंभीरता से लिया और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इसकी जांच के आदेश देते हुये संबद्ध अधिकारियों को इसमें त्वरित कारवाई करने के निर्देश दिये। इन निर्देशों के बाद यह मामला जांच के लिये हमीरपुर पुलिस के पास पहुंच गया और नादौन की अदालत में केस चला। नादौन की अदालत में सुक्खू को इस आधार पर राहत दे दी कि इसमें किसी को भी न व्यक्तिगत लाभ हुआ है और न ही हानि। बसन्त सिंह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में आ गये। उच्च न्यायालय की जस्टिस कैंथला की एकल पीठ ने जून में इस पर फैसला देते हुये नादौन की अदालत के फैसले को यथास्थिति बनाये रखते हुये यह भी कह दिया कि इस फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी।

इस बसन्त सिंह-सुक्खू मामले की फाइल ज्ञानचन्द के यहां छापेमारी के दौरान ई डी के हाथ लग गयी। जबकि ज्ञानचन्द का इस मामले के साथ कोई संबंध ही नहीं है। ई डी ने इस केस की फाइल को देखने के बाद इसके सत्यापन के लिये बसन्त सिंह को दिल्ली तलब कर लिया। इस फाइल में संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज होने कहे जा रहे हैं। बसन्त सिंह 14-9-24 को ई डी में पेश हो आये हैं। शायद ई डी बसन्त सिंह को गवाही के लिए फिर तलब करें। बसन्त सिंह ने सुक्खू के चुनाव शपथ पत्र में जमीन संबंधी कुछ जानकारियां छुपाने का आरोप लगा रखा है। हमीरपुर के ए एस पी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बसन्त सिंह के आरोप को प्रमाणित कर दिया है। जिस स्टोन क्रेशर की ई डी ने अधवाणी में जांच और छापेमारी की है वह पहले बसन्त सिंह के गांव जरोट में ही स्थापित था। बसन्त सिंह की शिकायत पर ही जरोट से इस क्रशर को शिफ्ट करने के अदालत ने आदेश दिये थे और तब जरोट से यह अधवाणी शिफ्ट हुआ था। माना जा रहा है कि जो केस फाइल ई डी के हाथ लगी है उसमें शायद स्टोन क्रशर से जुड़ी जानकारियां भी हैं। यह केस फाइल ई डी के हाथ लगने से इस मामले में कई मोड़ आने की संभावनाएं बन गयी हैं क्योंकि यह स्टोन क्रशर भी उस जमीन पर स्थित था जो शायद सरकार के नाम सिलिंग के समय जा चुकी है और इस पर बर्तनदारों के हक सुरक्षित थे क्योंकि यहीं पर कुछ गांवों का शमशान भी है।

यह है बसन्त सिंह के नाम ई डी के सम्मन

(As per Annexure 'A' enclosed)

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL, THIS 12th DAY OF Sept TWO THOUSAND 24

Signature and Seal of IO

Vikas
AD

विकास / VIKAS
Assistant Director, HIU 2
प्रवर्तन निदेशालय / Directorate of Enforcement
Ministry of Finance, Department of Revenue
Govt. of India, New Delhi

To,

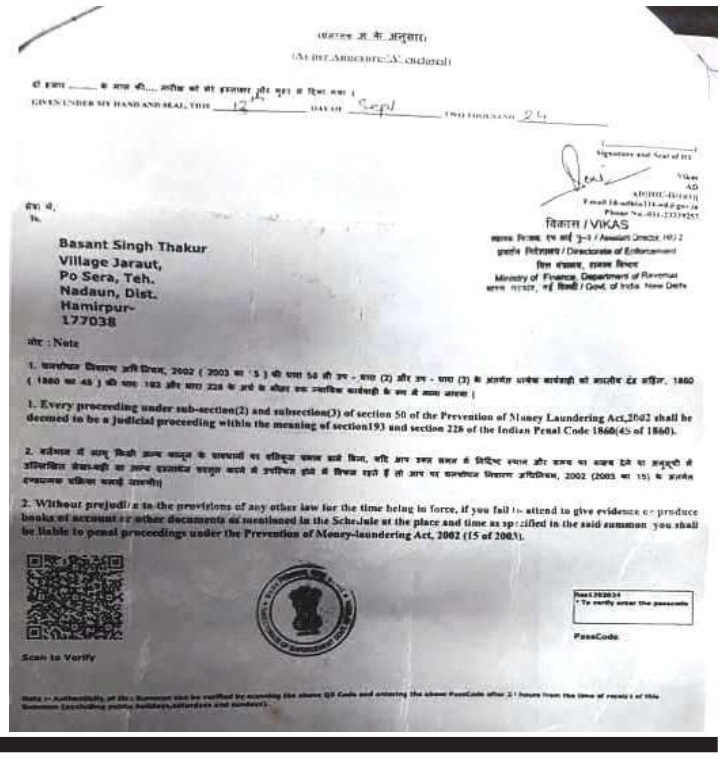

Basant Singh Thakur
Village Jaraut,
Po Sera, Teh.
Nadaun, Dist.
Hamirpur-
177038

नोट : Note

1. Every proceeding under sub-section(2) and subsection(3) of section 50 of the Prevention of Money Laundering Act,2002 shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section193 and section 228 of the Indian Penal Code 1860(45 of 1860).

2. Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, if you fail to attend to give evidence or produce books of account or other documents as mentioned in the Schedule at the place and time as specified in the said summon you shall be liable to penal proceedings under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003).

Scan to Verify

PassCode